अपीलीय सिविल

न्यायधीश डी. के. महाजन के समक्ष

तोखा आदि,-अपीलकर्ता।

बनाम

श्रीमती. सम्मन आदि,-प्रतिवादी।

1961 की नियमित सेकेंड अपील संख्या 295

3 फ़रवरी 1972.

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956 का XXX) - धारा 4 और 14 - पंजाब किरायेदारी अधिनियम (1887 का XVI) - धारा 59(3) - विधवा के पास अपने पति से विरासत में मिली भूमि पर अधिभोग किरायेदारी का अधिकार है - आने के बाद उसके द्वारा बनाई गई भूमि का उपहार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का लागू होना - क्या शून्य है ।

अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिभोगी किरायेदार के अधिकार "संपत्ति" हैं और एक विधवा को अपने पति से ये अधिकार विरासत में मिलते हैं और ये अधिकार उसे जीवन भर के लिए धारण करते हैं। उसकी मृत्यु पर वे उसके उत्तराधिकारियों को नहीं बल्कि पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 59 के तहत उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाते हैं। हालाँकि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद और धारा 14(1) के कारण वह उन अधिकारों की पूर्ण मालिक बन जाती है और उसके पास मौजूद सीमित संपत्ति अब मौजूद नहीं है। अधिभोग अधिकारों की दृष्टि से उसकी स्थिति पूर्ण स्वामी की है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 14 के मद्देनजर, किरायेदारी अधिनियम की धारा 59(3) के तहत विधवा पर अधिभोग अधिकारों के हस्तांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध अब नहीं है। इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद जिस भूमि पर उसका अधिभोग अधिकार है, उसमें से उसके द्वारा किया गया उपहार अमान्य नहीं है। भले ही उपहार अमान्य हो, जिस भूमि की वह अधिभोगी किरायेदार है, वह उसमें निहित रहती है और 15 जुलाई, 1958 से, जब अधिभोग किरायेदार (स्वामित्व अधिकार का निहितार्थ) अधिनियम, 1958 लागू हुआ, वह पूर्ण हो जाती है। उन अधिकारों की

स्वामी, अर्थात्, वह उस भूमि की पूर्ण स्वामी बन जाती है जिसकी वह अधिभोगी किरायेदार थी और एक पूर्ण स्वामी के रूप में वह उस भूमि के साथ जो चाहे कर सकती है।

श्रीमान न्यायालय की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील। मुरारी लाल पुरी, जिला न्यायाधीश, हिसार ने 18 नवंबर, 1960 को श्री देव भूषण गुप्ता, उप-न्यायाधीश चतुर्थ श्रेणी, सिरसा द्वारा 21 नवंबर, 1958 को वादी के मुकदमे को खारिज करने की पुष्टि की। दोनों अदालतों ने पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया।

अपीलकर्ताओं के लिए डी.एन. अग्रवाल, अधिवक्ता और बी.एन. अग्रवाल, अधिवक्ता।
एच एस वासु. प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.एस. वासु, अधिवक्ता

निर्णय

न्यायधीश महाजन- यह दूसरी अपील वादी के मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालतों के समवर्ती निर्णयों के खिलाफ निर्देशित है।
इस अपील में विवाद की सराहना करने के लिए, एक संक्षिप्त वंशावली-सारणी निर्धारित की जा सकती है: -

चेतराम
(अधिभोग किरायेदार; मृत्यु 1909)
।
\---
। ।
श्रीमती रूपन श्रीमती सामा
(विधवा) (विधवा)
। ।

तोखा	श्रीमती पटोरी
(गोद लिया गया पुत्र)	(पुत्री)
वादी	।
	गणपत
	(पुत्री का पुत्र)

चेतराम की मृत्यु पर उनकी दो विधवाओं और उनके दत्तक पुत्र तोखा के बीच विवाद हो गया। इस विवाद को राजस्व अधिकारियों के समक्ष समझौते से सुलझाया गया। समझौता यह था कि विधवाएँ राजस्व अधिकारी के समक्ष बयान देंगी और तीनों गाँवों में उत्परिवर्तन स्वीकृत कराएँगी जिसमें भूमि एक तिहाई, एक तिहाई और एक तिहाई के रूप में दत्तक पुत्रऔर दो विधवाएँ के नाम पर दर्ज की जाएगी। यदि वे ऐसा बयान नहीं देते हैं तो गांव शेखूपुरा की जमीन पर दत्तक पुत्र का कब्जा रहेगा और गांव खियोवाली व फग्गू की जमीन पर दोनों विधवाओं का कब्जा रहेगा। म्यूटेशन दर्ज कराने के लिए कदम उठाए गए लेकिन वे असफल रहे। परिणाम यह हुआ कि शेखूपुरा की जमीन पर दत्तक पुत्र का कब्जा बना रहा और शेष दो गांवों की जमीन पर दोनों विधवाओं का कब्जा रहा। समझौते में यह भी प्रावधान था कि विधवाओं में से किसी एक की मृत्यु होने पर उसके द्वारा छोड़ी गई भूमि दत्तक पुत्र और जीवित विधवा के बीच आधी-आधी कर दी जाएगी। हालाँकि, 1932 में हुई रूपन की मृत्यु पर, समझौते के इस खंड को प्रभावी नहीं किया गया और गाँव खियोवाली में उनके हिस्से की ज़मीन सुश्री सामा के नाम पर बदल दी गई और उसमें से आधी जमीन का नामांतरण तोखा के नाम नहीं किया गया। जैसा कि समझौते में दिया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि टोखा ने सुश्री रूपन की मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर समझौते को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वर्ष 1957 में सुश्री सामा ने अपनी पुत्री सुश्री पटोरी को ग्राम खियोवाली में जमीन उपहार में दी। इसके चलते टोखा ने उपहार को चुनौती देने के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया। टोखा द्वारा कई दलीलें दी गईं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह अब इस न्यायालय में दूसरी अपील में आया है।

दूसरी अपील में श्री अग्रवाल का तर्क है कि तोखा सुश्री सामा द्वारा दिए गए उपहार को चुनौती दे सकता है क्योंकि सुश्री सामा के पास उस तारीख को अधिभोग किरायेदारी अधिकार थे जब उन्होंने उपहार दिया था और पंजाब किरायेदारी अधिनियम की धारा 59 (3) के तहत, उनका उपहार अमान्य होगा। इसलिए, जिस संक्षिप्त प्रश्न का समाधान किया जाना है वह यह है कि क्या सुश्री सामा द्वारा दिया गया उपहार वैध है?

इस मामले को देखने के दो तरीके हैं। एक तो इसका असर क्या होता है
किरायेदारी अधिनियम की धारा 59 (3) पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 निम्नलिखित शर्तें हैं: -
(1) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, -
(ए) इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लागू हिंदू कानून या उस कानून के हिस्से के रूप में किसी भी रीति-रिवाज या प्रथा का कोई भी पाठ, नियम या व्याख्या किसी भी मामले के संबंध में प्रभावी नहीं होगी जिसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है;
(बी) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू कोई भी अन्य प्रावधान हिंदुओं पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वह इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है।
(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में शामिल किसी भी बात को कृषि जोत के विखंडन की रोकथाम या अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए मौजूदा समय में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। ऐसी होल्डिंग्स के संबंध में किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण के लिए।"

इस प्रकार यह प्रावधान करता है कि इसके प्रावधान अन्य कानूनों के उन सभी प्रावधानों पर हावी हो जाएंगे जो इसके प्रावधानों से असंगत हैं। धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में से एक है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति पर कब्जा रखने वाली कोई भी महिला हिंदू, चाहे वह अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, उसकी पूर्ण मालिक होगी और स्पष्टीकरण में, रखरखाव के माध्यम से या सीमित संपत्ति के रूप में अर्जित संपत्ति,धारा 14 की उपधारा (1) के अर्थ में संपत्ति होगी। यदि मामला धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत आता तो यह

अलग होता। तथ्यों पर, यह मामला नहीं है और यह विद्वान वकील का तर्क भी नहीं है। कि उनका मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत आता है। उनका वास्तविक तर्क यह है कि यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 (2) का संदर्भ दिया जाता है, तो इसका पालन करना होगा कि धारा 14 के प्रावधान अधिभोग किरायेदारों पर लागू नहीं होंगे। विद्वान वकील यह स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि अधिभोगी किरायेदार के अधिकार संपत्ति हैं और ऐसा होने पर धारा 14 मामले को नियंत्रित करेगी। हालाँकि, विद्वान वकील की धारणा थी कि अधिभोग के पूर्ण अधिकार का अर्थ अधिभोग अधिकार के बजाय मालिकाना अधिकार होगा, यानी सुश्री सामा अधिभोग किरायेदार नहीं रहेंगी और मालिक बन जाएंगी। धारा 14(1) के तहत ऐसा नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पहले सुश्री सामा ने किरायेदारी अधिनियम की धारा 59 के तहत एक विधवा के रूप में अधिभोग अधिकारों को अपने जीवनकाल के लिए और उनकी मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों को नहीं बल्कि उनके पति के उत्तराधिकारियों को दिया था। यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले मौजूद कानून कायम होता, तो स्थिति अलग होती। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद और धारा 14 (1) के कारण वह उन अधिकारों की पूर्ण मालिक बन गई है और उन अधिकारों में उसके पास जो सीमित संपत्ति थी, वह अब मौजूद नहीं है। इसलिए, अधिभोग अधिकारों के संबंध में उसकी स्थिति एक पूर्ण स्वामी की है और ऐसे अधिकारों के पुरुष स्वामी से भी बेहतर है। यदि अधिकार पैतृक थे, तो पुरुष मालिक द्वारा अधिभोग अधिकारों के हस्तांतरण पर उसके प्रतिवर्तियों द्वारा सवाल उठाया जा सकता है, जबकि महिला मालिक द्वारा ऐसे अधिकारों के हस्तांतरण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि मामले को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 14 के मद्देनजर, किरायेदारीअधिनियम की धारा 59 (3) के तहत विधवा पर अधिभोग अधिकारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया अस्तित्व में नहीं है। मामलों की स्थिति के अनुसार, यह तर्क देना बेकार है कि 1957 में सुश्री सामा द्वारा दिया गया उपहार अमान्य था।

किसी भी मामले में, अगर मैं गलत हूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 किरायेदारी अधिनियम की धारा 59 (3) को ओवरराइड करती है, तो स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। यह सच है कि 1957 में पंजाब ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स (स्वामित्व अधिकारों का निहितार्थ) अधिनियम, 1952 के

तहत खाली भूमि मालिकों के कब्जे वाले किरायेदार अपनी हिस्सेदारी के मालिक नहीं बन गए थे। लेकिन 15 जुलाई1958 को लागू हुए एक अध्यादेश से स्थिति उलट गई और उस तारीख से मालिकों की महिला अधिभोग किरायेदार जो खाली थे, वे भी उस भूमि की पूर्ण मालिक बन गईं जो अधिभोग किरायेदारों के रूप में उनके कब्जे में थी। दूसरे शब्दों में, वे उस भूमि के मालिक बन गए और धारा 59 (3) लागू नहीं होगी, क्योंकि कानून के संचालन से बड़ी संपत्ति में विलय, यानी स्वामित्व के अधिकार गायब हो गए हैं। विधवा द्वारा दिया गया उपहार शून्य होने के कारण यह परिणाम अनिवार्य रूप से आएगा। गिल्ट शून्य होने के कारण, जिस भूमि की सुश्री सामा अधिभोगी किरायेदार थीं, वह उन्हीं में निहित रही और 15 जुलाई, 1958 से, जब अधिभोग किरायेदार (स्वामित्व अधिकारों का निहितार्थ) अधिनियम लागू हुआ, वह उन अधिकारों की पूर्ण स्वामी बन गईं।

इस न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि जब महिला अधिभोग अधिकार प्राप्त करती है अधिभोग किरायेदार (स्वामित्व अधिकार निहित) अधिनियम के तहत वह अर्जित अधिकारों की पूर्ण स्वामी बन जाती है, अर्थात, वह उस भूमि की पूर्ण स्वामी बन जाती है, जिसकी वह अधिभोगी किरायेदार थी और पूर्ण स्वामी के रूप में वह कुछ भी कर सकती है जो वह भूमि के साथ पसंद करती है।

मामले के इस दृष्टिकोण से, इस अपील में कोई बल नहीं है; अपील विफल होती है और खारिज की जाती है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा